

बिहार सरकार,
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग।
सं०-3/आ०वि०(संधा)701-02/2012-क-

प्रेषक,
निदेशक।

सेवा में,
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना-15 दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में गैर-योजनान्तर्गत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आवंटनादेश सं०-06, दिनांक-18-5-2012 द्वारा 15 अनु० जनजाति आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ रू० 5,75,36,400/- (पांच करोड़ पचहत्तर लाख छत्तीस हजार चार सौ रू०) तथा आवंटनादेश सं०-07, दिनांक-18-5-2012 द्वारा 51 अनु० जाति आवासीय विद्यालयों एवं 14 नये अनु० जाति आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ कुल 26,60,62,000/- (छब्बीस करोड़ साठ लाख बासठ हजार रू०) मात्र राशि आवंटित की गई है।

उक्त आवंटित राशि के विरुद्ध व्यय की गई राशि की अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक अप्राप्त है। फलस्वरूप मांग के अनुरूप अतिरिक्त आवंटन में कठिनाई है।

अतः अनुरोध है कि उक्त आवंटित राशि के विरुद्ध व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में अविलम्ब समर्पित कर दिया जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-
निदेशक।

ज्ञापांक-3/आ०वि०(संधा)701-02/2012-क-

पटना-15 दिनांक-

प्रति- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
निदेशक।

ज्ञापांक-3/आ०वि०(संधा)701-02/2012-क-

पटना-15 दिनांक-

प्रति- आई०टी० मैनेजर अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

5/9/12

6-9-12
निदेशक।